



केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

चतुर्थ तल, चन्द्रलोक बिल्डिंग, 36 जनपथ, नई दिल्ली - 110 001
फोन: 23353503, फैक्स: 23753923

याचिका सं. 374 / टीएल / 2023

दिनांक: 12.3.2024

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 15 की उप-धारा (5) के खंड (क) के अधीन नोटिस

ब्यावर दौसा ट्रांसमिशन लिमिटेड, (अब 'पावरग्रिड ब्यावर दौसा ट्रांसमिशन लिमिटेड' के रूप से ज्ञात), पंजीकृत कार्यालय बी-9, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, कटवारिया सराय, नई दिल्ली - 110 016 द्वारा निम्नलिखित घटकों को शामिल करते हुए निर्माण, स्वामित्व, प्रचालन और अंतरण आधार (इसके बाद "परियोजना" के रूप में संदर्भित) पर "फेज-III पार्ट-एच के अधीन राजस्थान (20 जीडब्ल्यू) में आर्इजेड से विद्युत की निकासी के लिए पारेषण योजना" स्थापित करने हेतु अंतर-राज्यिक पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 (अधिनियम) की धाराओं 14 और 15 के अधीन आवेदन किया गया है:

क्र. सं.	पारेषण घटक का नाम	अनुसूचित सीओडी
1.	<p>2x330 एमवीएआर, 765 केवी बस रिएक्टर एवं 2x125 एमवीएआर, 765 केवी बस रिएक्टर एवं 2x125 एमवीएआर 420 केवी बस रिएक्टर सहित दौसा के निकट उपयुक्त स्थान पर 2 x1500 एमवीए 765 / 400 केवी सब स्टेशन की स्थापना</p> <ul style="list-style-type: none"> 765 / 400 केवी सब स्टेशन की स्थापना 1500 एमवीए आईसीटी 2नं.(1 स्पेयर यूनिट सहित) 7 x 500 एमवीए 330 एमवीएआर, 765 केवी बस रिएक्टर: 2नं. (1 स्पेयर यूनिट सहित 7x500 एमवीएआर) 765 केवी आईसीटी बे - 2नं. 400 केवी आईसीटी बे - 2नं. 765 केवी लाईन बे - 6नं. 400 केवी लाईन बे - 4नं. 765 केवी रिएक्टर बे - 2नं. 125 एमवीएआर, 420 केवी बस रिएक्टर - 2नं. 420 केवी रिएक्टर बे - 2नं. <p>भावी उपबंध : निम्नलिखित के लिए</p> <ul style="list-style-type: none"> बे सहित 765 / 400 केवी आईसीटी : 2नं. स्विचेबल लाईन रिएक्टर सहित 765 केवी लाईन बे : 4नं. बे सहित 765 केवी बस रिएक्टर : 2नं. बे सहित 400 / 220 केवी आईसीटी : 2नं. स्विचेबल लाईन रिएक्टर सहित 400 केवी लाईन बे: 4नं. बे सहित 400 केवी बस रिएक्टर: 1नं. 220 केवी लाईन बे: 4नं. 	एसपीवी अधिग्रहण की तारीख से 18 माह
2.	<p>दौसा के दौसा सिरे पर प्रत्येक सर्किट के लिए 240 एमवीआर स्विचेबल लाईन रिएक्टर सहित दौसा में जयपुर (फागी) - ग्वालियर 765 केवी डी/सी के दोनों सर्किटों का लीलो - ग्वालियर 765 केवी डी/सी लाईन</p> <ul style="list-style-type: none"> 765 केवी 240 एमवीएआर स्विचेबल लाईन रिएक्टर के लिए स्विचिंग उपकरण - 2नं. 240 एमवीएआर 765 केवी स्विचेबल लाईन रिएक्टर - 2नं. (1 स्पेयर यूनिट पर विचार करते हुए 7 x 80 एमवीएआर) (765 केवी ब्यावर - दौसा डी/सी लाईन के लिए दौसा सिरे पर स्पेयर रिएक्टर के रूप में प्रयुक्त किया जाए) 	
3.	<p>दौसा के दौसा सिरे - आगरा 400 केवी डी/सी लाईन पर प्रत्येक सर्किट के लिए 50 एमवीएआर स्विचेबल लाईन रिएक्टर सहित दौसा पर जयपुर (दक्षिण) 400 केवी डी/सी - आगरा के दोनों सर्किटों का लीलो।</p> <ul style="list-style-type: none"> 420 केवी, 50 एमवीएआर स्विचेबल लाईन रिएक्टर के लिए स्विचिंग उपकरण - 2 420 केवी, 50 एमवीएआर स्विचेबल लाईन रिएक्टर - 2 	
4.	<p>प्रत्येक सिरे पर प्रत्येक सर्किट के लिए 240 एमवीएआर स्विचेबल लाईन रिएक्टर सहित ब्यावर दौसा 765 केवी डी/सी लाईन</p> <ul style="list-style-type: none"> 765 केवी, 240 एमवीएआर स्विचेबल लाईन रिएक्टर के लिए स्विचिंग उपकरण - 4 765 केवी, 240 एमवीएआर स्विचेबल लाईन रिएक्टर - 4 नं. 	
5.	<p>ब्यावर के लिए ब्यावर 765 केवी लाईन बे का 2नं.-दौसा 765 केवी डी/सी लाईन</p> <ul style="list-style-type: none"> 765 केवी लाईन बे - 2नं. 	

नोट:

- ब्यावर एस/एस का विकासकर्ता उनके सब स्टेशनों पर 765 केवी स्विचेबल लाईन रिएक्टरों के लिए स्थान सहित 765 केवी लाईन बे के 2नं. के लिए स्थान प्रदान करेगा।
- आवेदक को अधिनियम की धारा 63 के अधीन केन्द्र सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड (पीएफसीसीएल) द्वारा की गई प्रतिस्पर्धात्मक बोली के आधार पर ₹ 2002.84 मिलियन प्रति वर्ष के निम्नतम स्तरीकृत पारेषण प्रमारों के साथ पारेषण सेवा प्रदाता के रूप में चयनित किया गया है।
- सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने दिनांक 13.12.2023 के अपने पत्र द्वारा प्रस्तावित पारेषण प्रणाली की स्थापना के लिए आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु संस्तुत किया है।
- रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्री के आधार पर, आयोग ने याचिका सं. 374 / टीएल / 2023 में दिनांक 12.03.2024 के आदेश द्वारा उपर्युक्त पैरा 1 में यथोलिखित पारेषण योजना की स्थापना हेतु आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति जारी किए जाने का प्रस्ताव किया है।
- पावरग्रिड ब्यावर दौसा ट्रांसमिशन लिमिटेड को अंतरराज्यिक पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु आवेदक द्वारा आयोग के समक्ष किए गए अनुबंध एवं अनुलग्नकों सहित आवेदन की प्रति को वेबसाइट www.powergrid.in/subsidiaries पर देखा जा सकता है या निर्धारित क्रियाविधि का अनुपालन करते हुए आयोग के कार्यालय में किसी व्यक्ति द्वारा इसका निरीक्षण किया जा सकता है।
- नोटिस, अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (5) के खंड (क) के अनुसरण में दिया गया है कि उक्त के अनुसार, आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु आयोग के प्रस्तावों में सुझावों या आपत्तियों, यदि कोई हो, को उक्त पते पर दिनांक 01.04.2024 तक अधोहस्ताक्षरी को भेज दिया जाए। विनिर्दिष्ट तारीख के बाद प्राप्त हुए सुझावों या आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा।
- आयोग द्वारा दिनांक 03.04.2024 को आवेदन पर आगे की सुनवाई की जाएगी। कोई भी व्यक्ति जो सुझावों या आपत्तियों को दर्ज करता है, वह इस सुनवाई में अपने स्वविवेक से उपस्थित रह सकता है जिसके लिए आयोग द्वारा कोई टीए/डीए हस्ता/— नहीं दिया जाएगा।

(हरप्रीत सिंह पृथी)

सचिव